पुस्तकालय

2507
17/3/06

सत्यमेव जयते

असंशोधित

9 MAR 2006

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एल० ए०) 220--मोनो--1,000--8-6-2004

ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष : डा० आर०आर०कनौजिया । सूचना पढ़ी जा चुकी है । माननीय मंत्री ।

सर्वश्री डा०आर०आर०कनौजिया, कृष्णनन्दन पासवान एवं अन्य चार सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [गृह(विशेष)विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार अनुसूचित जाति-जनजाति विधेयक २००५ गृह विभाग के पत्रांक ६८५ ए०सी० दिनांक १८-८-२००५ द्वारा सचिव, विधि न्याय एवं कंपनी मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है किन्तु इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं . है, अध्यादेश को वापस करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री आर०आर०कनौजियाः महोदय, यह भेजा गया था उस समय, जब राष्ट्रपति शासन था । वहां समयाभाव के कारण विधेयक वहां से लौट कर चला आया । इसलिए महोदय, यह मामला तो वहां का था नहीं, यह मामला था बिहार सरकार का और यहां से पास करना है सदन से और विभाग जब प्रस्तुत करेगी तो तो इस मामले में महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि सारी चीजें यहां हैं, भारत सरकार को इससे क्या मतलब है ? इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में विभिन्न राज्य ने अपना- अपना अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग बनाया है ताकि सरकार सारे मामले का निष्पादन भली-भांति कम समय में उचित किया जा सके । इस तरह सरकार के अनेक नियम बने हुए हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आयोग गठन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं । उसके लिए कानून बनाना था, तो कानून बनने की प्रक्रिया उस समय राष्ट्रपति शासन था, आर्डिनेंस लाना था । विधि विभाग की राय हुई कि इसको दिल्ली में भेजा जाए । पार्लियामेंट से उसको किया जाए । चूंकि उसमें कई प्रश्न थे, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश करे, मंत्रि परिषद का सलाह नहीं है, फिर हाउस होगा तो भारत सरकार को रेफर कर दिया गया । तब तक लोक सभा के बैठक की अधिसूचना जारी हो गई और आर्डिनेंस आ नहीं पाया तो १८-५-२००५ को यह भेजा गया । भारत सरकार को लौटा देना चाहिए था न्याय मंत्रालय को, अभी तक नहीं लौटा । सरकार पुनः पत्र लिख रही है । जल्द-से-जल्द उसको अवगत करा कर उसको कानून का रूप दे दिया जायेगा । इसमें अब कहीं कोई आपत्ति है नहीं कि विरोध है, गठन करना है, हो चुका है । केवल उसको कार्य-रूप देना है, प्रक्रिया में है ।

श्री आर०आर०कनौजिया : अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ चाहते हैं कि माननीय मंत्री कब तक कर देंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः जितना जल्द वह मिल जाएगा, उसको हमलोग कार्य-रूप देंगे ।

श्री रामदास रायः अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय रामदास राय जी, आपका इस ध्यानाकर्षण पर हस्ताक्षर नहीं है ।

अध्यक्ष : श्री भोला सिंह । सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री ।

श्री भोला सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वर्ष १९१२ में बंगाल प्रेसिडेन्सी से बिहार एवं उड़ीसा राज्य के पृथक होनेके बाद बिहार सचिवालय के कार्यालय को सुचारू ढंग से चलाने के निमित्त सचिवालय अनुदेश बनाया गया था । सचिवालय अनुदेश के अभिलेखों के विन्यास तथा अभिलेखागार के संबंध में

एक अलग से अध्याय रखा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य की स्थापना, सचिवालय की स्थापना के साथ ही सचिवालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु अभिलेखागार की स्थापना की गयी थी । प्रारम्भ के ४० वर्षों से इसका स्वरूप केवल सचिवालय के अभिलेखों को संसाधण परिरक्षण करना था ।

२. भारतीय अभिलेख आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि १९०१ के पूर्व के सभी सामान्य एवं गोपनीय अभिलेख शोध करने वाले विद्वानों को उपलब्ध कराये जाय । इस उद्देश्य से आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गयी कि प्रत्येक राज्य में एक संगठित केन्द्रीय अभिलेख लेखागार कार्यालय की स्थापना की जाए । इस उद्देश्य की पूर्त्ति तथा अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने हेतु जनवरी, १९५४ में राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव उपस्थापित किया गया जिसके अनुसार राज्य सचिवालय अभिलेखागार को राज्य के केन्द्रीय अभिलेखागार कार्यालय में परिणत किया जाना था । साथ ही, सभी ऐतिहासिक अभिलेख, राजस्व पर्षद, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त के कार्यालयों तथा सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त कर एक स्थान पर यथा उपर्युक्त केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय में संग्रहित करने हेतु भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । यह भी प्रस्ताव था कि संग्रहित किये जाने वाले तथा अभिलेखागार में पूर्व से संग्रहित अभिलेखों को यथा रिति अनुक्रम में सूची कर शोधार्थियों के लिए संरक्षित किया जाय । क्रमशः .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ..क्रमशः.. ३. वित्तीय वर्ष १९५६ में राज्य केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को एक अलग स्वरूप प्रदान किया गया । जिसके द्वारा दिनांक ८ मई, १९५६ को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को राष्ट्रीय अभिलेखागार की तर्ज पर बिहार राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गयी । जिससे स्पष्ट होगा कि इसकी स्थापना केवल बिहार के प्रशासनिक इतिहास लिखने के उद्देश्य से ही नहीं की गयी थी ।

४. यह सही है कि इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए राज्यादेश संख्या-आर०आर०(एच-२४/५६-१८० आर०आर० दिनांक २३ मई, १९५६ द्वारा वेतनमान रू० ३५०-२५-६५० द०रो०-३५-१००० में एक निदेशक का पद सृजित किया गया । उस वक्त यह पद पदधारक द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से मात्र ५ वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था । उस समय निदेशक के रूप में डॉ० बी०बी० मिश्र ने दिनांक ०७ अगस्त, १९५६ को अपना प्रभार ग्रहण किया । डॉ० मिश्र इस पद पर नियुक्ति के समय सीवान कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे, कालान्तर में इस पद पर विभागीय संकल्प में निर्धारित योग्यता के अनुसार विद्वान व्यक्ति की नियुक्ति की गयी ।

५. ऐसा नहीं है कि ५० वर्ष के अन्तर्गत राज्य का कोई प्रशासनिक इतिहास नहीं लिखा जा सका है । इस संबंध में ज्ञातव्य है कि तत्कालीन निदेशक श्री काली किंकर दत्त जो पटना विश्वविद्यालय के भी०सी० थे, साथ-ही निदेशक के पद पर पदेन रूप में कार्यरत थे, के संरक्षण तथा देखरेख में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था, जो राज्य अभिलेखागार में मौजूद है ।

जहाँ तक १० वर्ष से कोई निदेशक नहीं रहने का प्रश्न है, यह स्थिति सही है कि पूर्व निदेशक श्री तारा शरण सिन्हा के दिनांक ३१ जनवरी, १९९७ को सेवा निवृत्ति के उपरान्त यह पद रिक्त है । वर्त्तमान में यह पद एकाकी गैर संवर्गीय है और इसका पुनरीक्षित वेतनमान १२०००-१६५०० का है । पद का स्तर विभागाध्यक्ष का है ।

कतिपय कारणों से इसमें विलम्ब हुआ और १९९८ में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापन निकाला गया था । उक्त विज्ञापन के आलोक में दिनांक १४.६.१९९९ को होने वाले साक्षात्कार को स्थगित करते हुए पुनः विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों, राष्ट्रीय समाचर पत्रों, साप्ताहिक समाचार पत्रों तथा रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया । उस आदेश में इस बात की छूट दी गयी थी कि जो व्यक्ति १९९८ में दिये गये विज्ञापन के आलोक में आवेदन पत्र दिया है उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी उनका पूर्व का ही आवेदन प्रभावी होगा । इसके बाद वर्ष २००० में लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त विज्ञापन के आलोक में दिनांक ३०.९.२००२ को उम्मीदवारों का साक्षात्कार का समापन हुआ । उक्त साक्षात्कार के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक १००२/लो०से०आ० दिनांक ७.११.२००२ द्वारा साक्षात्कार के आधार पर अभिलेख निदेशक के रिक्त पद (अनारक्षित वर्ग) पर श्री रविन्द्र नाथ बैठा के नाम की अनुशंसा की गयी थी । आयोग द्वारा उक्त साक्षात्कार में जो विशेषज्ञ रखे गये थे उस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण और अन्य विशेषज्ञ के साथ साक्षात्कार सम्पादित करने के कारण, विधि विभाग की राय लेकर लोक सेवा आयोग के उक्त अनुशंसा को रद्द करने का निर्णय लिया गया । इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुशंसित विशेषज्ञ को ही आयोग द्वारा कम से कम तीन सप्ताह का समय देकर कोई दूसरी तिथि निर्धारित कर साक्षात्कार सम्पादित करते हुए अनुशंसा भेजे जाने का आदेश भी दिया गया ।

इस आदेश के विरूद्ध श्री बैठा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है । जिसका आदिनांक निष्पादन प्रतीक्षित है । पुनः ९.१२.२००४ को साक्षात्कार आयोजित किया गया जिसमें पूर्व के आवेदकों के साथ ही अन्य आवेदकों को भी नये सिरे से प्राप्त आवेदन के आलोक में लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । पूर्व से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों को साक्षात्कार में बुलाया गया था । इस साक्षात्कार के आलोक में नये सिरे से अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की अनुशंसा लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी । ध्यानाकर्षण से स्पष्ट है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के निदेश पर नामित विशेषज्ञ की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मार्च, २००५ में राज्य सरकार के पास भेजी गयी । उक्त अनुशंसा में यह स्पष्ट कहा गया था कि डॉ० विजय कुमार का मूल आवेदन पत्र (अनुलग्नक सहित) है । नियुक्ति के समय डॉ० कुमार की शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय योग्यता, मूल प्रमाण पत्रों से जाँच कराकर स्वयं विभाग संतुष्ट हो लेगा । यह भी ज्ञातव्य है कि डॉ० विजय कुमार द्वारा जो आवेदन पत्र लोक सेवा आयोग में जमा किया गया था जिसमें निम्नांकित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने का उल्लेख आयोग कार्यालय द्वारा किया गया था :-

...क्रमशः...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : (क्रमशः) (१) स्नातक/स्नातकोत्तर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(२) आर्काईभल विज्ञान में डिप्लोमा नहीं है ।

इसी के आलोक में विभाग द्वारा समीक्षा किया गया, जिसमें स्नातक/स्नातकोत्तर का प्रमाण-पत्र तो डा० कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया, परन्तु आर्काईभल, डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका । इसी की समीक्षा के क्रम में संचिका विभिन्न स्तरों पर विचार के लिए बार-बार निष्पादित की जाती रही । इसमें विभिन्न विभागों से यथा मानव संसाधन विभाग और काशी प्रसाद जयसवाल शोध संस्थान से भी पत्राचार करना पड़ा । आर्काईभल संरक्षण में ७ वर्षों का अनुभव प्राप्त करने के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित था कि श्री काशी प्रसाद जयसवाल शोध संस्थान को आर्काईभल संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया है या नहीं ? इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के क्रम में संचिका विभिन्न स्तरों पर निष्पादन के क्रम में रही । अतः यह कहा जाना कि एक उप सचिव द्वारा एक वर्ष तक संचिका अपने पास रखकर राज्य सरकार को गुमराह की तथा आयोग की अनुशंसा को निरस्त करवा दिया है, उचित नहीं है । यह सूचित करना अपेक्षित है कि उम्मीदवार द्वारा विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य योग्यता/वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण सरकार द्वारा इसे निरस्त किया गया है जो कि निदेशक पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है ।

जहां तक कनीय व्यक्ति को बिना सरकारी सूचना के आठ वर्षों तक प्रभार में रखकर राज्य अभिलेखागार के प्रतिष्ठा को धूमिल किये जाने का प्रश्न है वस्तुस्थिति यह है कि सहायक निदेशक के पास निकासी एवं व्यय की काम चलाऊ प्रभार के अतिरिक्त कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है सभी निर्णय सरकार के स्तर पर लिये जाते हैं ।

निदेशक के पद पर फिर से विज्ञापन निकाल कर सुयोग्य आर्हता प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुशंसा लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही है ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो कॉल-एटैंसन का जवाब दिया है, वह बहुत भ्रामक है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ - क्या यह बात सही है कि अन्तर्वीक्षा के पूर्व विभाग ने दो-दो बार अपने विशेषज्ञों को पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में भेजकर उसकी जाँच करवायी और उसके बाद अन्तर्वीक्षा ली गई ? क्या यह बात सही है कि विभाग के द्वारा नामित विशेषज्ञ राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक,पटना विश्वविद्यालय के वरिय इतिहासकार को स्वयं विभाग ने नामित करके भेजा और विभाग के द्वारा अन्तर्वीक्षा के पूर्व जाँच दो-दो बार करने के बाद और कमीशन के द्वारा अनुशंसित होने के बाद क्या किसी उप सचिव को या किसी पदाधिकारी को यह अधिकार है कि जो कमीशन ने अनुशंसा की है, उस पर ऊँगली उठाये ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जैसा मैंने कहा कि एकबार जो अनुशंसा आयी बैठा जी का, उसको मुख्य मंत्री ने निरस्त कर दिया । कहा गया कि उसमें बाहर से भी सुयोग्य एवं एक्सपर्ट रखे जायं । उसके बाद डा० विनय का नाम आया और जो योग्यता वांछनीय था, उसमें आर्काईभल का जो डिप्लोमा डिग्री है, उसका मूल प्रमाण-पत्र इन्होंने नहीं दिया । इसीलिए वह मामला लंबित रहा और विभिन्न जगहों से पूछ-ताछ चलती रही । फिर अधियाचना गई है लोक सेवा आयोग को उस भैकेंसी को फुलफील करने के लिए, ये तो तथ्य सामने आये ही । अब जो हुई बात वह भोला बाबू भी जान रहे हैं और हमने पढ़कर भी सुनाया, इसमें कुछ छिपाने की बात तो है नहीं ।

श्री भोला सिंह : महोदय, जहां तक डा० विनय को आर्काईभल अनुभव के बारे में बताया गया है डिप्लोमा डिग्री, मैं स्वयं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ - क्या यह बात सही नहीं है कि १९५६ से ही स्वीकृति जयसवाल इन्स्टीच्यूट ने आर्काईभल एक्टीभीटीज जो शोध कार्य हो रहे हैं और डा० विजय को २५ वर्षों का उनका अनुभव है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, अनुभव किसी व्यक्ति का होना, किसी शोध संस्थान में जाना यह अलग बात है । मैंने जैसा कहा कि जो संचिका में निहित है, वह यह है कि आर्काईभल का जो डिप्लोमा

डिग्री है, इसका प्रमाण-पत्र उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया , इसके आधार पर नियुक्ति में कई तरह की पृच्छा की गई, कई बार काशी जयसवाल इन्स्टीच्यूट से भी पत्राचार किये गये, इसी में देरी लगी और मूल प्रमाण-पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया जो मैंने कहा ।

श्री भोला सिंह : देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने स्वयं १९६० का जो के०पी०जयसवाल इन्स्टीच्यूट का जो प्रतिवेदन है, वह मैं आपके इजाजत से सदन में रखना चाहता हूँ :-

The activities of the Institute were expanded in 1952 with the appointment of two Research Fellows, Sri Qeyamuddin Ahmad and Sri Jatashankar Jha for the Medieval and Modern periods respectively. The archival section of the Institute started working in right earnest after 1952.

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के ३-३ बार, जब यह कमीशन में मामला उपस्थित हुआ, विभाग ने जाँच किया और जाँच करने के बाद अन्तर्वीक्षा हुई, तब जब आपने इसको निरस्त किया हाईकोर्ट के ३-३ बार हस्तक्षेप के बाद तो क्या आपने एडवोकेट जेनरल से इसकी राय ली ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य श्री भोला बाबू, आपने क्या कहा ?

श्री भोला सिंह : महोदय, मैंने यही पूछा आपसे कि जब आपने दो-दो बार अन्तर्वीक्षा के पूर्व जांच करवायी तब यह अन्तर्वीक्षा हुई, आपके नामित विशेषज्ञ वहाँ भेजे गये, उन्होंने इसके बाद अनुशंसा की । यदि आपने पाया कि ये अपेक्षित योग्यता नहीं है तो क्या वे विशेषज्ञ हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्सन चाहिए । विभाग के स्वयं मुख्य सचिव और सचिव दोनों इन्टरभ्यू में जाना चाहते थे । राज्य सरकार ने रोक दिया कि आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं और राज्य सरकार ने आपके राजकीय अभिलेखागार के महानिदेशक को और वरीय टीचर को इसके लिए भेजा और उसके बाद अनुशंसा हुई । हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद यह अनुशंसा हुई । एक वर्ष तक मामला रूका रहा । हम यह जानना चाहते हैं कि जब आपने निरस्त किया इसको, कमीशन की अनुशंसा को, अगर कमीशन किसी इन्स्टीच्यूसन को भेजता है तो इन्स्टीच्यूसन यह देखेगा कि अपेक्षित योग्यता है कि नहीं ? आखिर कमीशन क्या है ? विशेषज्ञ कौन बात के लिए है ? इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि आपने एडवोकेट जेनरल से ऐसे मामले में कोई सलाह ली ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो तथ्य है संचिका में, एक बार अनुशंसा आयोग ने किया तो उसको मुख्यमंत्री जी ने निरस्त कर दिया और कहा कि और भी उसमें एक्सपर्ट लोगों को लेकर किया जाय । दूसरा नाम आया, उसकी जो आर्हता थी, जो योग्यता उस समय थी कि आर्काईभल का डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र उन्होंने जमा नहीं किया, इसलिए वे मामले उनकी नियुक्ति के चल नहीं पाये । यह दो ही तथ्य है उसमें, अब इसमें एडवोकेट जेनरल से राय लेना, जो अपेक्षित योग्यता है, अर्हता है किसी उम्मीदवारी के लिए, किसी चीजों के लिए, वह तो निर्धारित विभाग करती है । उसके अनुकूल जो उपलब्धता होती है, एक हुआ तो एक ही बात, लोक सेवा आयोग उसकी चयन करके सूची प्रेषित करता है सरकार को चूंकि वह सीनियर पद है, इसीलिए मैंने साफ-साफ कहा कि जो अर्हता का मूल प्रमाण-पत्र था आर्काईभल का डिप्लोमा, वह डा० विनय नहीं दे पाये । इसलिए ये मामले निरस्त किये गये और फिर लोक सेवा आयोग को अधियाचना दी गयी ।

अध्यक्ष : अब अंतिम सवाल ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि विभाग ने दो बार अन्तर्वीक्षा के पहले जांच की और जांच में उसने क्यों नहीं पाया कि ये सारी चीजें नहीं हैं और उनके जांच करने के बाद और विभाग के द्वारा नामित एक्सपर्ट देने के बाद जो अनुशंसा हुई और एक वर्ष तक उसको रखा गया, हम यह आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि यह सरासर अन्याय है, कमीशन की अवमानना है और एक्सपर्ट जो राज्य सरकार ने नामित किये, उनकी विद्वता पर, उनके निर्णय पर और उनके योग्यता पर यह आक्षेप है, इसलिए हम फिर आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो सारे तथ्य हमने आपके सामने दिया है, जिस कनीय व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, अधिसूचना नहीं और आज आप योग्यता की बात कर रहे हैं ? १५ वर्ष से वह, ८ वर्ष से वह आदमी है, अधिसूचना नहीं है, आप कहते हैं कि हम उसको केवल वित्तीय कार-बार दिया गया है खर्च-वर्च करने का, ये आप कहते हैं और आप उसको रखकर के जो कमीशन से अनुशंसित है, आप उसको नहीं रखेंगे, बार-बार उसको रिजेक्ट करेंगे और आप कहेंगे कि यह नहीं - वह नहीं, यह क्या है ? यह निश्चित रूप से निहित स्वार्थ का हमला है । निहित स्वार्थ नहीं चाहता है कि उस जगह पर कोई हो । इसलिए हम फिर आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या इन तमाम् तथ्यों के आलोक में सरकार इसपर पुनर्विचार करेगी और जो साकारात्मक हो सकता है, उसके बारे में विचार करने का कदम उठायेगी ?

श्री विजेन्द्र प्र० यादव, मंत्री : महोदय, सरकार इसमें कोई मोटिवेटेड नहीं है। माननीय सदस्य जानकार है, पुराने हैं, अनुभवी हैं। महोदय, संभवतः बहुत सारे तथ्य जो सरकार के पास नहीं आ पाते हैं वे माननीय सदस्यों के पास रहते हैं और यही इस सदन के माननीय सदस्यों की खासियत है। महोदय, मैं आदरणीय भोला बाबू से कहना चाहता हूँ कि सरकार इसकी पुनः समीक्षा करके किसी के साथ पक्षपात और अन्याय नहीं होने देगी।

अध्यक्ष : श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स०, श्री रामेश्वर प्रसाद, स०वि०स० एवं श्री रामजी ऋषिदेव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी जा चुकी है। सरकार का जवाब, माननीय मंत्री।

सरकार का जवाब

श्री रामाश्रय प्र० सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोशी नदी पर विजय घाट, पथ निर्माण विभाग का राज्य पथ उदाकिशनगंज-चौसा-लगुआ-लगाम पर अवस्थित है इसकी चौड़ाई लगभग ३.०० कि०मी० है, जिस पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी०पुल निर्माण करने में लगभग ५०० करोड़ राशि की लागत आयेगी।

बरसात के दिनों में आम जनता को छः माह के लिए आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु पीपा पुल का निर्माण किया जाता है।

तत्काल बिहार सरकार में उपलब्ध संसाधन से उक्त पूरी राशि का वहन करना संभव नहीं है, फलतः उक्त घाट पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती रेणु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ३.०० कि०मी० लंबा है और ५०० सौ करोड़ की राशि लगेगी। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों की कठिनाईयों को देखते हुए, क्योंकि लगभग दस हजार व्यक्ति प्रतिदिन नदी पार करते हैं जिसमें छः महीनें पीपा पुल रहता है और छः महीनें लोगों को नाव के सहारे नदी पार करना पड़ता है जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है और लोगों की जानें जाती है। महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि यह पुल तीन जिलों मधेपुरा, पूर्णियाँ और भागलपुर को आपस में जोड़ेगा और लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। महोदय, पाँच सौ करोड़ रु० को देखा जाय और लाखों लोगों की सुविधा को देखा जाय तो यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वे इस पर पुनर्विचार करे और न हो तो सी०आर०एफ० से ही कराने की दिशा में ही पहले करे। महोदय, अगर राशि की कमी की वजह से, सरकार अभी सक्षम नहीं है, यह कह देना, इससे दुःखद बात और कुछ नहीं होगी।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह, मंत्री : महोदय, सक्षम नहीं है, यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि अभी इतनी हैवी राशि को लगाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है और माननीय सदस्या को जो एप्रोच है उससे मैं सहमत हूँ और उनकी भावनाओं को समझता हूँ। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार भी यह चाहती है कि पीपा पुल पर जो प्रतिवर्ष खर्च होता है उसमें कमी आये, क्योंकि जो पैसा उस पर खर्च होता है वह पानी में ही चला जाता है। महोदय, माननीय सदस्या ने जो बाते कहीं हैं उससे मैं सहमत हूँ और सरकार भारत सरकार से इस पुल के निर्माण के लिए पहल करेगी।

श्रीमती रेणु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना आवश्यक समझती हूँ कि यह पूरा दियारा का इलाका है और वहाँ पर पर नक्सलाईट, लिबरेशन आर्मी और फैजान गिरोह का आंतक व्याप्त है, अगर यह पुल बनेगा तो सरकार की जो अपराध नियंत्रण की योजना है उसको भी फायदा होगा और अपराध में कमी आयेगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में न हो सके तो कम से कम अगले वित्तीय वर्ष में इसको कराने पर ध्यान दें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री ने कहा कि वे आपकी बातों से सहमत है और सरकार इस दिशा में पहल करेगी।

श्री रामेश्वर प्रसाद : महोदय, यह पुल बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा आर्थिक रूप से भी और समय की भी काफी बचत होगी। उदाकिशनगंज अनुमंडल के लोग भागलपुर से काफी जुड़े हुए है और उनके आवागमन का रास्ता भी उधर से है जहाँ छः महीने नाव से नदी पार करना पड़ता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीधे प्रश्न पूछें।

श्री रामेश्वर प्रसाद : महोदय, सरकार, भारत सरकार से इस संबंध में वार्त्ता करके इसको करायेगी, क्योंकि इससे पूरा कोशी कमिशनरी प्रभावित होता है।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह : महोदय, मैंने तो स्वयं स्वीकार किया है कि काफी असुविधाएं वहाँ के स्थानीय लोगों को है और हम भारत सरकार से पहल करके इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुरंत कराने के लिए हम कोई बात कह दें, यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह काम कोई तुरंत होने वाला नहीं है और वैसी बात सरकार को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन माननीय सदस्यों की बेचैनी को हम देख रहे हैं, यह बात भी तथ्य है कि काफी बड़े रूप में इस पुल के बनने लोगों की सुविधा बढ़ जायेगी, करीब सौ कि०मी० का फर्क तो उदाकिशनगंज से पटना आने में हो जायेगा और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष तक इसके पहल की दिशा में सरकार जरूर कार्रवाई करेगी और जितनी जल्दी इसका निर्माण शुरू हो करायेगी क्योंकि यह तो हमारे सरकार के लिए क्रेडिट की बात होगी और जनता के हित की भी बात होगी।

श्री रामजी ऋषिदेव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक यह पूरा होगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी इसका जवाब पहले ही दे चुके हैं कि इस दिशा में वह पहल करेंगे।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द ही पहले करेगी और भारत सरकार से वार्त्ता करेगी।

श्रीमती रेणु कुमारी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या अगले वित्तीय वर्ष तक इस दिशा में प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार से पहल करेगी।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह, मंत्री : जरूर।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : महोदय, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया वह ठीक नहीं है। माननीय सदस्या ने जिस पुल बनाने की चर्चा की है वह राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-१०६ पर अवस्थित है। मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग से कहकर जो राष्ट्रीय उच्च पथ-१०६ बिहपुर से वीरपुर तक का जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें इसको शामिल करा दे, राशि की कमी नहीं होगी, भारत सरकार इसमें राशि देगी सिर्फ पहल करने की जरूरत है, सिर्फ माननीय मंत्री जी पहल करके इसको पथ निर्माण विभाग के उक्त प्रोजेक्ट में शामिल करा दें।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह : ठीक है।

सर्वश्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भोला सिंह एवं अन्य सात सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, बिहार टेनेन्सी एक्ट १९९३ की धारा की उपधारा (४) एवं (५) संशोधित है, उसमें कृषि योग्य भूमि पर व्यापार करने वाले व्यवसायियों पर मालगुजारी के साथ भूमि के सरकारी मूल्य रु० ३.२ से ५.२ प्रतिशत तक व्यवसायिक लगान निर्धारित की गई है। इसके कारण आरा शहर सहित सभी व्यवसायिक स्थानों पर अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। बेरोजगार मुश्किल में पड़ गए हैं। शहरवासी स्वतः या दुकानदार को किराए पर देकर वाणिज्यकर, आयकर, लेबर टैक्स, फैक्ट्री टैक्स एवं नगरपालिका टैक्स राजस्व के रूप में देते हैं। इसके बावजूद उक्त लगान वसूल करना बेरोजगारी को बढ़ावा देना है।

अतः इस व्यवसायिक लगान जैसे काले कानून को अविलम्ब समाप्त कर जनता को राहत दिलाने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

सरकार का जवाब

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री : महोदय, समय चाहिए। २३ तारीख को इसका जवाब दिया जायेगा।

श्री शोभाकान्त मंडल, स०वि०स०, श्रीमती बीमा भारती, स०वि०स० एवं अन्य चार सभासदों की ध्यानाकर्षाण सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य

श्री शोभाकान्त मंडलः भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती से मिर्जा चौकी उच्च पथ सं०-८०, ९ कि०मीटर के गड्ढों में परिणत होने के कारण किसी भी वाहन के परिचालन के लायक नहीं है । यह पथ झारखंड की सीमा तक जाने वाला पूर्वी बिहार का मुख्य पथ है । यह भागलपुर, कहलगाँव एवं साहिबगंज को जोड़ता है । निर्माण कार्यों में उपयोगी पत्थर, चिप्स की ढुलाई का यह मुख्य मार्ग भी है। सात वर्षों से इस पथ के निर्माण या परिचालन लायक नहीं बनाये जाने से जनता में आक्रोश है ।

अतः इस मार्ग के शीघ्र निर्माण के लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्रीः भागलपुर......

अध्यक्षः यह आपका सवाल नहीं है ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्रीः यह सवाल हमारा नहीं है, सवाल...

अध्यक्षः पथ निर्माण का है ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्रीः जी, पथ निर्माण मंत्री ने चाहा है कि..

अध्यक्ष : सुपुर्द कर दिये हैं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्रीः भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड के पीरपैंती से मिर्जा चौकी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-८० (मोकामा-लखीसराय-भागलपुर-कहलगाँव-मिर्जा चौकी-साहेबगंज-मालदा) का अंश है । राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-८० नवघोषित राष्ट्रीय उच्च पथ है, इसकी अधिसूचना वर्ष १९९९ में की गयी है। पीरपैंती-मिर्जा चौकी पथांश की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष २००५-०६ के वार्षिक योजना में संलग्न किया गया था, जिसके अन्तर्गत पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कि०मी० १८१ से १८५ तक पथ के पुर्ननिर्माण की स्वीकृति दिनांक-२०.०८.०५ को रू०-४१७.६१ लाख के लिए दी गयी है तथा राज्य सरकार के द्वारा निविदा प्राप्त कर निविदा का निष्पादन किया जा चुका है एवं संवेदक के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष २००६-०७ में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

पीरपैती से मिर्जा चौकी के बीच शेष पथांश कि०मी० १८६ से १९० के लिए रू०-५८९.५० लाख का प्राक्कलन मुख्य अभियंता, रा०उ०प० उपभाग के पत्रांक-१५४ अनु० दिनांक-०७.०२.२००६ द्वारा पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जा चुका है । प्राक्कलन स्वीकृति के उपरान्त शेष पथांश में भी कार्य प्रारम्भ की जाएगी ।

श्री शोभाकान्त मंडलः अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात् इस पर कार्य प्रारम्भ होगा । हम मंत्री महोदय को इसके लिए बधायी देता हूँ । मगर इसे स्वीकृति में भी प्रयास के लिए जिसे आवश्यकता है कि यह दो राज्यों की सीमा पर अवस्थित है और इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी हिम्मत करके ३५ कि०मी० घूमकर के जायेंगे । यह महत्वपूर्ण सड़क है इसलिए ये जो वित्तीय वर्ष है, जिसका आश्वासन दिया गया है, इसमें यह निश्चित ही पूरा होना चाहिए और मैं एक का जिक्र कर दूँ कि वहां भी कहलगाँव में एक पीपा पुल बना हुआ है, जिस पर सरकार का, केन्द्र सरकार का जो पैसा आता है, उस पर भयानक व्यय हो रहा है । वह भी अतिआवश्यक है, शीघ्रता में पूरा किया जाना चाहिये नहीं तो पूर्वी बिहार से इसका कनेक्शन कटा हुआ है, पीपा पुल कहलगाँव का ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दो भाग में इसको देखा जाय । प्रथम भाग में ४१७ लाख की स्वीकृति भारत सरकार से भी मिल गयी । भारत सरकार मतलब दो-तीन इसके हैं- पोत मंत्रालय है और सड़क मंत्रालय है, अन्य मंत्रालय है और उसमें संवेदक भी आ चुके हैं, उसमें निविदा भी हो चुकी है, कार्य लग चुका है । वित्तीय वर्ष २००६-०७ में कार्य पूर्ण होने की आशा है । दूसरा जो है, वह ५८९

लाख का है । ये शेष पथांश कि०मी० १८६ से १९० के लिए इतना का प्राक्कलन तैयार कर और राज्य उच्च पथ मुख्य अभियंता, उपभाग के पत्रांक-१५४ अनु० के द्वारा दिनांक-०७.०२.२००६ को पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जा चुका है । प्राक्कलन स्वीकृति के उपरान्त शेष पथांश में भी कार्य प्रारम्भ की जाएगी ।

श्री शोभाकान्त मंडलः अध्यक्ष महोदय, लक्खीसराय से शुरू करके पहला फेज जो इन्होंने बताया, उससे हमारे प्रश्न का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ध्यानाकर्षण का कोई सरोकार नहीं है । हमारा सरोकार जो प्राक्कलन की स्वीकृति है, जो होने वाली है, उससे है और इसके नहीं होने से, इस सड़क के नहीं बनने से, ये दो राज्यों की सीमा का सड़क जिस पर चलते हुए लोग अपनी इष्टदेव को समझता है और जैसे ही लोग झारखंड से बिहार घुसते हैं तो समझ जाते हैं कि हम दूसरे राज्य में आ गये हैं । अब नयी सरकार आयी है । कम-से-कम यह परिवर्तन तो दिखायी पड़ना चाहिये कि यह सरकार के समय में यह सड़क बन गया, वित्तीय वर्ष २००६-०७ में । यह आश्वासन आप हमें दें ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्रीः आप जब इतनी उम्मीद रख रहे हैं हमसे, हम बहुत सुक्रगुजार हैं, पूरा यही सरकार करेगी इसलिए ठीक उम्मीद आपने रखा है और यह ५८९ लाख की योजना से तो संबंध आपका है, ४१७ से अपने को अलग कर रहे हैं, आप । हालांकि, हम ४१७ और ५८९ लाख दोनों को साथ मिला करके हम निर्माण करेंगे लेकिन हम ५८९ लाख की जो बात है, इसको भी हम भारत सरकार से जल्द से जल्द स्वीकृति प्राप्त करके हम काम लगावेंगे । इस साल के अन्दर में, इस निविदा में हो जायेगा ।

श्री रामदास रायः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि जिन पथों के बारे में, वह इसे ध्यानाकर्षण से संबंध नहीं रखता है । मूल बात है पीरपैती से मिर्जा चौकी तक जो ९ कि०मी० है । ९ कि०मी० पथ के निर्माण के लिए आपने प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आप प्राक्कलन की स्वीकृति करा करके अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा करायेंगे कि नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्रीः मैं शायद यही बताया और आपने ध्यान नहीं दिया, रामदास बाबू । कभी कभी हम आपके ध्यान से हट जाते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है । यही बात मैंने, जो बात आप कर रहे हैं वही बात मैंने बतायी है । अभी कि वह ५८९ लाख का जो योजना है, उसको भी भारत सरकार को हम भेज चुके हैं और जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति प्राप्त करके हम इस वर्ष में काम लगायेंगे ।

अध्यक्षः अब ध्यानाकर्षण समाप्त हुए ।

सभा की बैठक २.०० बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(स्थगन)